

परियोजना का नाम

:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 किमी) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

नहीं

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

नहीं

14. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

प्राप्ति संकेत उपरिलिख

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए

X

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि

नहीं

15. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :

X

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/ नहीं)

नहीं

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए

नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)

नहीं

(iv) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)

हाँ

(v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत चालना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

हाँ

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

9,00,900 = ₹

हाँ

(vii) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए जाने की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

हाँ

16. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/ नहीं)

हाँ

17. जीवन्यात्मक या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

हाँ

दिनांक 23.2.15

हस्ताक्षर

नाम

प्रभागीय वनप्रधिकारी

सरकारी मोहर

द्वारा प्रयोग

द्वारा प्रयोग